भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 3248
07 अगस्त, 2026 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

बरेली में स्वास्थ्य अवसंरचना परियोजनाएं

3248. श्री छत्रपाल सिंह गंगवार:

क्या **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उत्तर प्रदेश में और विशेषकर बरेली ज़िले में, प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन (पीएम-एबीएचआईएम) और केंद्र सरकार की अन्य स्वास्थ्य योजनाओं के अंतर्गत स्वीकृत की गई स्वास्थ्य अवसंरचना परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति क्या है;
(ख) इन परियोजनाओं के अंतर्गत अब तक हुई प्रगति क्या है और किए गए व्यय का ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या सरकार का बरेली संभाग में तृतीयक स्वास्थ्य देख-रेख सेवाओं और चिकित्सा अवसंरचना को और सुदृढ़ करने के लिए किसी अतिरिक्त प्रस्ताव का विचार है; और
(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री प्रतापराव जाधव)

(क) से (घ): प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन (पीएम-एबीएचआईएम), केंद्रीय प्रायोजित योजना (सीएसएस) है जिसमें कुछ केंद्रीय क्षेत्र (सीएस) घटक हैं, को स्वास्थ्य सेवा प्रदायगी, जन स्वास्थ्य कार्रवाई और स्वास्थ्य अनुसंधान को एकीकृत करने वाले सुधारों के माध्यम से भारत की जन स्वास्थ्य प्रणाली को सुदृढ़ करने के लिए कार्यान्वित किया गया है, जिससे महामारियों और अन्य जन स्वास्थ्य आपात स्थितियों का प्रभावी ढंग से अनुक्रिया देने के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणालियों की क्षमता बढ़ती है।

योजना के सीएसएस घटक के तहत, उत्तर प्रदेश को 1670 भवन रहित उप स्वास्थ्य केंद्र–आयुष्मान आरोग्य मंदिर (एसएचसी-एएएम) के निर्माण/सुदृढ़ीकरण, 674 शहरी आयुष्मान आरोग्य मंदिर (यू-एएएम), 515 ब्लॉक जन स्वास्थ्य इकाइयाँ (बीपीएचयू), 75 एकीकृत सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रयोगशालाएँ (आईपीएचएल) और 74 क्रिटिकल केयर ब्लॉक (सीसीबी) शामिल हैं, की स्थापना के लिए प्रशासनिक अनुमोदन प्रदान किया गया है।

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रदान की गई जानकारी के अनुसार, बरेली जिले में एक एकीकृत जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला (आईपीएचएल), दस ब्लॉक जन स्वास्थ्य इकाइयाँ (बीपीएचयू) और 15 उप-स्वास्थ्य केंद्र- आयुष्मान आरोग्य मंदिर (एसएचसी- एएएम) को पीएम-अभिम के तहत अनुमोदित किया गया है।

पीएम-अभिम के अंतर्गत, अनुमोदित कार्यकलापों के आधार पर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को एकमुश्त आधार पर निधियाँ जारी की जाती हैं, जिससे वे अपनी आकलित आवश्यकताओं और प्राथमिकताओं के अनुसार इन निधियों का उपयोग कर सकें। पिछले तीन वित्तीय वर्षों अर्थात् वित्तीय वर्ष

2023-24 से वित्तीय वर्ष 2025-26 तक उत्तर प्रदेश के लिए पीएम-अभिम के अंतर्गत केंद्रीय निर्गत और व्यय का विवरण निम्नानुसार है:

(करोड़ रु. में)

राज्य	**2023-24**		**2024-25**		**2025-26**	
	केंद्रीय निर्गत	**व्यय**	**केंद्रीय निर्गत**	**व्यय**	**केंद्रीय निर्गत**	**व्यय**
उत्तर प्रदेश	247.96	252.69	400.95	544.74	211.88	511.46

नोट:
1. उपरोक्त जारी राशियों में केंद्रीय सरकारी अनुदान शामिल हैं और इनमें राज्य के हिस्से का योगदान शामिल नहीं है।
2. व्यय में केंद्रीय निर्गत, राज्य निर्गत के लिए किया गया व्यय और वर्ष की शुरुआत में शेष अव्ययित राशि शामिल है।
3. व्यय राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा प्रस्तुत एफएमआर के अनुसार है और यह अनंतिम है।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत कार्यक्रम कार्यान्वयन योजनाओं (पीआईपी) के रूप में प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर, उत्तर प्रदेश सहित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को ग्रामीण क्षेत्रों में जन स्वास्थ्य सेवा प्रणाली के सुदृढ़ीकरण के लिए तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करता है। भारत सरकार मानदंडों और उपलब्ध संसाधनों के अनुसार कार्यवाही रिकार्ड (आरओपी) के रूप में प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान करती है। उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य सेवा के सुदृढ़ीकरण के लिए दी गई स्वीकृतियों का विवरण स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की वेबसाइट पर निम्न यूनिफ़ॉर्म रिसोर्स लोकेटर (यूआरएल) पर उपलब्ध है:

www.nhm.gov.in/index4.php?lang=1&level=0&linkid=49&lid=62

प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना (पीएमएसएसवाई) का उद्देश्य देश में किफायती विशिष्ट स्वास्थ्य परिचर्या सेवाओं की उपलब्धता में क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करना और गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा शिक्षा के लिए सुविधाकेंद्रों का विस्तार करना है। योजना के अंतर्गत, उत्तर प्रदेश को रायबरेली और गोरखपुर में 2 नए अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) की स्थापना तथा चार सरकारी मेडिकल कॉलेजों/संस्थानों (जीएमसीआई) अर्थात् एसजीपीजीआईएमएस, लखनऊ; इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज (आईएमएस), बीएचयू, वाराणसी में ट्रॉमा सेंटर (टीसी); जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज ऑफ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी (एएमयू), अलीगढ़; सरकारी मेडिकल कॉलेज, झांसी; बीआरडी मेडिकल कॉलेज, गोरखपुर; एमएलएन मेडिकल कॉलेज, इलाहाबाद; एलएलआरएम मेडिकल कॉलेज, मेरठ; सरकारी मेडिकल कॉलेज, आगरा; सरकारी मेडिकल कॉलेज, कानपुर; इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज (आईएमएस), बीएचयू, वाराणसी में एसएसबी; और आरआईओ, आईएमएस, बीएचयू, वाराणसी को अनुमोदित किया गया है।

केंद्र प्रायोजित योजना (सीएसएस) के तहत 'मौजूदा जिला/रेफरल अस्पतालों से संबद्ध नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना' के लिए उन अल्पसेवित क्षेत्रों और आकांक्षी जिलों को प्राथमिकता देते हुए जहाँ कोई सरकारी या निजी मेडिकल कॉलेज नहीं है। उत्तर प्रदेश राज्य में बस्ती; फैजाबाद; फिरोजाबाद; शाहजहांपुर; बहराइच; एटा; हमीरपुर; प्रतापगढ़; फतेहपुर; सिद्धार्थनगर (डोमियागंज); देवरिया; गाज़ीपुर; मिर्ज़ापुर; बिजनौर; कुशीनगर; सुलतानपुर; गोंडा; ललितपुर; लखीमपुर खेरी; चंदौली; बुलंदशहर; सोनभद्र; पीलीभीत; औरैया; कानपुर देहात; कौशांबी और अमेठी जिलों के लिए 27 मेडिकल कॉलेजों को अनुमोदित किया गया।
